



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2014/ज्येष्ठ 22, 1936

No. 316]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2014/JYAISTHA 22, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 26 मई, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (आठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 400(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (आठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में अनुसूची 1 में,

- पैराग्राफ 9(2) में, इस “अनुसूची के संलग्नक ‘ई’ में विनिर्दिष्ट फार्म में ‘विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों से संबंधित वार्षिक विवरणी’ नामक रिपोर्ट” शब्दों के लिए “रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ‘विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों से संबंधित वार्षिक विवरणी’ नामक रिपोर्ट” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- मौजूदा पैराग्राफ 9(3) हटाया जाएगा।
- मौजूदा संलग्नक ‘ई’ हटाया जाएगा।

[सं. फेमा. 307/2014-आर बी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी :-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02-03-2001
 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13-03-2001
 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14-03-2001
 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02-01-2002
 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19-08-2002
 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18-03-2003
 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18-03-2003
 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22-07-2003
 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23-10-2003
 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22-11-2003
 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07-01-2004
 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23-04-2004
 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16-07-2004
 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21-09-2004
 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08-12-2004
 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01-04-2005
 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01-04-2005
 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25-07-2005
 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25-07-2005
 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29-07-2005
 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22-12-2005
 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19-01-2006
 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11-07-2006
 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14-11-2007
 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14-11-2007
 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29-11-2007

सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05-08-2008
 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30-12-2008
 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01-12-2009
 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21-04-2010
 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10-11-2012
 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 3-08-2012
 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30-10-2012
 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30-10-2012
 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30-10-2012
 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31-12-2012
 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31-12-2012
 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22-01-2013
 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30-07-2013
 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05-08-2013
 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28-05-2013
 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29-05-2013
 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01-04-2013
 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21-06-2013
 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04-09-2013
 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06-09-2013
 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06-09-2013
 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11-10-2013
 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11-10-2013
 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30-12-2013
 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31-12-2013
 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11-10-2013
 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19-03-2014
 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19-03-2014
 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07-04-2014

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th May, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Eighth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 400(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short Title and Commencement :—

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Eighth Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Schedule 1,

(i) In Paragraph 9 (2) for the words, “ a report titled ‘Annual Return on Foreign Liabilites and Assets’ in the form specified in Annex E to this Schedule” the words “a report titled ‘Annual Return on Foreign Liabilites and Assets’ as specified by the Reserve Bank from time to time ” shall be substituted.

(ii) the existing paragraph 9(3) shall be deleted.

(iii) the existing Annex E shall be deleted.

[No. FEMA 307/2014-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001

G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001

G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001

G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002

G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002

G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003

G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003

G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003

G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003

G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003

G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004

G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004

G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004

G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004

G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004

G.S. R. No. 201 (E) dated 01.04.2005

G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005

G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005

G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005

G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005

G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005

G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006

G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006

G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007

G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007

G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007

G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008

G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008

G.S.R. No. 851 (E) dated 01.12.2009

G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010

G.S. R. No. 821 (E) dated 10.11.2012

G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012

G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 945(E) dated 31.12.2012

G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012

G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013

G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013

G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013

G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013

G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013

G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013

G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013

G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013

G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013

G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013

G.S. R. No. 681 (E) dated 11.10.2013

G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013

G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013

G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013

G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013

G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2013

G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2013

G.S. R. No. 270(E) dated 07. 04.2014